136

संख्या : 2756 / XVIII(2)/2012

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग– 2 देहरादूनः दिनांकः 16 नवम्बर, 2012

विषय : **वन अधिनियम के अन्तर्गत घोषित कार्बेट टाईगर रिजर्व के परिक्षेत्र की बाह्य सीमा के आसन्न 2 कि0मी0 में जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा– 154(4)(3)(क) एवं (ख) के अन्तर्गत भूमि क्रय की अनुमति/भू–उपयोग परिवर्तन निषिद्ध किये जाने एवं कार्बेट टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत क्षेत्र में अवस्थित कृषि भूमि के चकों के सन्दर्भ में धारा 143 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के अधीन भू–उपयोग परिवर्तन निषिद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि बाघ राष्ट्रीय पशु घोषित है। देश में इनकी संख्या बहुत कम रह गई है और इस कारण प्रत्येक स्तर पर इनके संरक्षण एवं विकास हेतु व्यापक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कार्बेट टाईगर रिजर्व देश का सबसे पुराना टाईगर रिजर्व है। शासन के संज्ञान में आया है कि इसके आसन्न एवं इसके अन्तर्गत क्षेत्रों में कई ऐसी गतिविधियां प्रचलित हैं, जिनसे बाघ संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है/पड़ना सम्भावित है।

2. इस कम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अग्रिम आदेशों तक वन अधिनियम के अन्तर्गत घोषित टाईगर रिजर्व के परिक्षेत्र की बाह्य सीमा के आसन्न 2 कि0मी0 तक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम–1950(उत्तराखण्ड में प्रवर्तन हेतु यथानुकूलित, यथोपान्तरित एवं अद्यावधिक यथासंशोधित) की धारा–**154(4)(3)(क) एवं (ख)** के अधीन भूमि क्रय/भूमि उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित कोई भी अनुमति दी जानी निषिद्ध की जाती है।

3. इस कम में मुझे आपसे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अग्रिम आदेशों तक वन अधिनियम के अन्तर्गत घोषित टाईगर रिजर्व परिक्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम–1950(उत्तराखण्ड में प्रवर्तन हेतु यथानुकूलित, यथोपान्तरित एवं अद्यावधिक यथासंशोधित) की धारा–**143** के अधीन भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित कोई भी अनुमति तब तक न दी जाये जब तक यह पूर्ण रूपेण सुनिश्चित न कर लिया जाये कि वन भूमि संरक्षण से सम्बन्धित संगत अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं परिपत्रों के किसी प्राविधान का उल्लंघन न होता हो। ऐसी भूमियों का विवरण संलग्न सूची में उपलब्ध है।

4. यदि उपरोक्त ***"बाह्य सीमा से आसन्न 2 कि0मी0"*** के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो इसका निस्तारण सम्बन्धित नायब तहसीलदार एवं वन क्षेत्राधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

5. इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्याः /**XVIII(2)/2012** तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, आवास एवं नगर विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. निदेशक, कार्बेट टाईगर रिजर्व, उत्तराखण्ड।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Om Prakash

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

कार्बेट टाइगर रिज़र्व में स्थित चकों की सूची

राजि	कम सं0	चक का नाम
पलेन	1.	गिड़वाल
	2.	मझोला
	3.	घासियों का गाज़ा
	4.	अमलेसा
	5.	धानिया
	6.	बिनतल्ला
	7.	कलेत
	8.	सूकोली
	9.	निगाणा
	10.	सिद्धपुर
अदनाला	11.	राई सेरा
	12.	रामीसेरा
	13.	डबरू
	14.	कण्डलाई
मैदावन	15.	काण्डा
	16.	तेड़िया तल्ला
	17.	तेड़िया मल्ला
	18.	चौरागॉव लग्गा पाण्ड
	19.	कनियारू लग्गा पाण्ड
	20.	पाण्ड
	21.	बड़खेत तोक
	22.	बासूसेरा
	23.	खदरासी
	24.	घिरोली
	25.	बड़कोट
	26.	खटिया तोक
	27.	भाकुआ मल्ला
	28.	भाकुआ तल्ला
	29.	झुडुंगू
	30.	रीठा पाटल तोक
	31.	बड़ा धार
	32.	कुम्भियासैण –I
	33.	कुम्भियासैंण –II
	34.	कुम्भियासैंण –III
	35.	कुम्भियासैंण – IV
मन्दाल	36.	नगाडू मल्ला–लग्गा पाण्ड
	37.	नगाडू तल्ला –लग्गा पाण्ड
	38.	बसाणी
	39.	कालाखण्ड
	40.	जमूण
	41.	बनासी
	42.	बलोली
	43.	घिरोली
	44.	बड़घट
	45.	जमेरिया – I
	46.	जमेरिया – II

2